

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प. रेलमगरा.....

सिकरावास

:- आदेश :-

प्रार्थी के " खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....सिकरावास.....
व भू.अ.नि. ...रेलमगरा.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा... / नायब तहसीलदार
रेलमगरा...की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
136 के अनुसरण में ग्राम.....मोरा.....तहसील...रेलमगरा.....व जिला.राजस्थान
.....की जमाबन्दी सम्वत् ..श.स.स.स. में खाता संख्या.....103.....
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | मोरा | 103 | नाक / बालु रायत | नाकासह (बालु राम रायत) |

()
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक :- 11/2025/49

दिनांक :- 29/9/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ...रेलमगरा.....को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।
2. प्रार्थी श्रीनाकासह बालु राम रायत को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा